न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 46/2020
GCMS No-2020/00078

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		अनिल शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, मैसर्स जय रामसा पीर रेस्टोरेन्ट, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने गुमटी जोधपुर रोड पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

1. प्रार्थी उपस्थित
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 05.04.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित रहने से बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 12.10.2019 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जय रामसा पीर रेस्टोरेन्ट, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, गुमटी जोधपुर रोड, पाली, जिला पाली पर पहूँचा, वहाँ फर्म के मालिक की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया की खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर रखे हुए फ्रिजर का निरीक्षण करने पर की फ्रिजर में 5 किलो पनीर रखा हुआ है, जिनमें मिलावट का शक हुआ तो रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात एक किलो पनीर को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा पनीर को चार भागों में विभक्त कर चार शिशियों में भरकर 20–20 बुन्द फॉरमेलिन की डालकर ढक्कन एयर टाईट बंद किया एवं उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–992 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./798/एक्ट/2019/845 दिनांक 25.10.2019 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पनीर को sub-standard का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard खाद्य पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2019 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म पर गया तो, वहां पर अनिल शर्मा पुत्र अशोक शर्मा उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.10.2019 को आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए पनीर को क्रय कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–992 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./798/एक्ट/2019/845 दिनांक 25.10.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–992 को "The sample of Paneer bearing Code No. and Sr. No. R-992 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Sub-Standard as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011" का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2019/17588–89 दिनांक 30.11.2019 के द्वारा विक्रेता को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जॉच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो उसके द्वारा नहीं करवाए जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा पनीर, जो आमजन के खाद्य हेतु उपयोग के लिए रखा गया, जो जॉच में Sub-Standard पाया गया, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard खाद्य खाद्य पनीर का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी अनिल शर्मा पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली